न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 5/2018

प्रार्थी

जिमना देवी पत्नि रामकरण जाति जाट निवासी मुण्डी तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हीरनाथ पुत्र छोगानाथ
2. गिरधारी नाथ पुत्र छोगानाथ
3. दीनानाथ पुत्र छोगानाथ
   सभी जाति नाथ निवासीगण मुण्डी तहसील जायल जिला नागौर
4. जानकीदास पुत्र शिवनारायण के कायम–
   4/1 गीता बेवा जानकी दास
   4/2 रामनिवासदास पुत्र जानकीदास
   4/3 लालदास पुत्र जानकीदास
   4/4 ओमदास पुत्र जानकीदास
   सभी जाति साद निवासी मुण्डी तहसील जायल जिला नागौर
   4/5 भंवरी पुत्री जानकीदास पत्नि रामनिवास जाति साद निवासी छाजोली तहसील जायल जिला नागौर
   4/6 रूकमा पुत्री जानकीदास पत्नि प्रहलाददास जाति साद निवासी ऊंचाईडा तहसील जायल जिला नागौर
   4/7 संतु पुत्री जानकीदास पत्नि सम्पतदास जाति साद निवासी ठाकरियाबास तहसील लाडनूं जिला नागौर
   4/8 नरू पुत्री जानकीदास पत्नि किशनदास जाति साद निवासी ठाकरियाबास तहसील लाडनूं जिला नागौर
   4/9 मुन्नी पुत्री जानकीदास पत्नि धन्नादास जाति साद निवासी छाजोली तहसील जायल जिला नागौर
   4/10 किरण पुत्री जानकीदास पत्नि योगस जाति साद निवासी अडवड तहसील जायल जिला नागौर
5. प्रेमनाथ पुत्र प्रभुनाथ जाति नाथ निवासी मुण्डी तहसील जायल जिला नागौर
6. भंवरलाल पुत्र रामकरण
7. गोविन्दराम पुत्र रामकरण
8. कानाराम पुत्र रामकरण

कलक्टर, नागौर

9. लिछमा पुत्री रामकरण
   सभी जाति जाट निवासीगण मुण्डी तहसील जायल जिला नागौर
10. तहसीलदार जायल जिला नागौर
11. सुरेन्द्र प्रसाद बैरवा उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की और से वकील श्री गंगासिंह कालवी।
3. अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।

आदेश दिनांक– 15-04-2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–321/2015 हीरनाथ बनाम जानकीदास वगैरा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 26.03.2018 के अनुसार वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा कथन किये कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध आक्षेप लगाते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अलावा प्रकरण में अन्य अप्रार्थीगण पक्षकार औपचारिक पक्षकार होने से इनकी तलबी आवश्यक नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कथन उचित प्रतीत होने से प्रकरण बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 से 5 ने जवाब पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को मिथ्या बताया तथा कहा कि, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत में आने जाने का अन्य सुगम रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है, जिसे खारिज किया जावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत में आने जाने वाले मार्ग को रफ स्केच में भी दर्शाया है, तत्पश्चात् अप्रार्थीगण ने अधीन आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन पेश कर संशोधित आवेदन अधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया तथा पत्रावली दिनांक 29.12.2017 को तलबी अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 के लिये नियत की तथा दिनांक 8.1.18 को पीठासीन अधिकारी नहीं होने से पत्रावली दिनांक 22.01.2018 को नियत की गई।

पीठासीन अधिकारी दिनांक 16.01.2018 को गांव मुण्डी में जनसुनवाई में आये हुए थे जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 उनसे मिले व आपस में बातचीत की, तब अप्रार्थी संख्या 11 उपखण्ड अधिकारी ने मजमे आम में कहा कि, रास्ता उसी स्थान पर निकालेगें, जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने मांग की है तथा आगामी पेशी पर मैं उसका फैसला आपके पक्ष में कर दूंगा, इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा मजमें आम में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में फैसला करने की धमकी दी है, इसलिये ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अब माननीय पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसके बाद

कलक्टर, नागौर

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थी को धमकीयां दे रहे है कि, हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा उन्होने फैसला हमारे पक्ष में करने का कह दिया है, इसलिए अब अगली तारीख पेशी पर फैसला हमारे हक में सुना दिया जायेगा। प्रार्थी को उक्त धमकी से युक्तियुक्त संदेह है कि जायल के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के प्रभाव में होने के कारण इस प्रकरण के निस्तारण में रूची लेकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सही निर्णय नहीं करेगें तथा प्रार्थीगण को उनके न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं होने का कथन करते हुए उपखण्ड अधिकारी जायल के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 321/2015 हीरनाथ बनाम जानकीदास वगैरा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 श्री गंगासिंह कालवी ने अपनी बहस में कथन किया कि सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–321/2015 हीरनाथ बनाम जानकीदास वगैरा को किसी भी अन्य न्यायालय में अन्तरित करने पर उन्हे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। श्री कालवी ने उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना को अन्तरित करने का निवेदन किया साथ ही यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना को अन्तरित करने का आदेश पारित करने की स्थिति में सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण में सात दिवस की आगामी तारीख पेशी नियत करते हुए सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल को प्रकरण के संबंधित पक्षकारान के अधिवक्तागण को आगामी तारीख पेशी की सूचना देते हुए ही प्रकरण सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना को आगामी सुनवाई हेतु भिजवाने के लिये सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल को निर्देशित करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां ने स्वंय की बहस में कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने में कोई ऐतराज नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय को अंतरित किया जाता है, उन्हे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–321/2015 हीरनाथ बनाम जानकीदास वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करने के संबंध में कोई ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–321/2015 हीरनाथ बनाम जानकीदास वगैरा को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना को आगामी सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त प्रकरण की सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना के न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु तारीख पेशी 24.04.2018 नियत की जाती है। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरण के पक्षकारान के अधिवक्तागण को उक्त तारीख पेशी 24.04.2018 से सूचित करने के उपरान्त ही उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तारीख पेशी से पूर्व सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना को भिजवावें। आदेश की एक–एक प्रति सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल एंव सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) डेगाना को पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर